फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 218/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/225) **श्री अमृतलाल मीणा बनाम तहसीलदार सेमारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री कमलेश दाणी - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **श्री अमृतलाल पिता श्री खातरा मीणा, निवासी वेणफला, धनकावाड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा, बप्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 14.12.2021 (अनवान अमृतलाल बनाम तहसीलदार)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 30.11.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा, बप्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 14.12.2021 (अनवान अमृतलाल बनाम तहसीलदार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील के अपीलार्थी श्री अमृतलाल मीणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वेणफला प.म. धनकावाडत्रा तहसील सेमारी में जमाबंदी संवत् 2074-77 खाता संख्या 48 किता 1 रकबा 0.8100, खाता संख्या 107 किता 16 रकबा 1.3200, खाता संख्या 108 किता 1 रकबा 0.2300, खाता संख्या 109 किता 1 रकबा 0.0300, खाता संख्या 110 किता 2 रकबा 0.0800, खाता संख्या 111 किता 1 रकबा 0.0100, खाता संख्या 118 किता 9 रकबा 0.7700, खाता संख्या 193 किता 1 रकबा 0.0100, खाता संख्या 194 किता 98 रकबा 5.3400, खाता संख्या 241 किता 22 रकबा 1.8600 हैक्टेयर स्थित होकर वर्णित आराजीयात में अपीलार्थी सहखातेदार की हैसियत से राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज है। जिस पर अपीलार्थी का आधिपत्य होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर आदिनांक तक यानि की अपने दादाओं के वक्त से अपीलार्थी का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड की जमाबदी कलम संख्या 1 में वर्णित खातों के राजस्व रेकर्ड मं अपीलार्थी का नाम खाता संख्या 48 में जीवतराम पिता खातु अंकित है तथा अन्य बकाया खाते में जीवा पिता खातु मीणा अंकित है, अपीलार्थी का नाम घर पर पुकारे जाने के कारण अंकित हो गये जबकि अन्य सरकार दस्तावेज, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता व अर्द्व राजकीय सेवा में अपीलार्थी का नाम अमृतलाल पिता खातरा मीणा का अंकन किया हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 218/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/225) **श्री अमृतलाल मीणा बनाम तहसीलदार सेमारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फरमाया जाकर कलम संख्या 1 में वर्णित सभी वर्तमान जमाबंदियों में अंकित नाम खाता संख्या 48 में जीवतराम पिता खातु तथा अन्य बकाया खातों में जीवा पिता खातु मीणा का संशोधन किया जाकर अमृतलाल पिता खातरा मीणा का राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

- उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कोर्ट में रखी जाकर संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं गवाहान के बयान लिये जाकर जाकर निर्णय दिनांक 14.12.2021 से उक्त आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्रसारित किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा के उक्त निर्णय दिनांक 14.12.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित, जिनकी विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा वेणफला प.म. धनकावाडत्रा तहसील सेमारी में जमाबंदी संवत् 2074-77 खाता संख्या 48 किता 1 रकबा 0.8100, खाता संख्या 107 किता 16 रकबा 1.3200, खाता संख्या 108 किता 1 रकबा 0.2300, खाता संख्या 109 किता 1 रकबा 0.0300, खाता संख्या 110 किता 2 रकबा 0.0800, खाता संख्या 111 किता 1 रकबा 0.0100, खाता संख्या 118 किता 9 रकबा 0.7700, खाता संख्या 193 किता 1 रकबा 0.0100, खाता संख्या 194 किता 98 रकबा 5.3400, खाता संख्या 241 किता 22 रकबा 1.8600 हैक्टेयर स्थित होकर वर्णित आराजीयात में अपीलार्थी सहखातेदार की हैसियत से राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज है। जिस पर अपीलार्थी का आधिपत्य होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर आदिनांक तक यानि की अपने दादाओं के वक्त से अपीलार्थी का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड की जमाबदी कलम संख्या 1 में वर्णित खातों के राजस्व रेकर्ड मं अपीलार्थी का नाम खाता संख्या 48 में जीवतराम पिता खातु अंकित है तथा अन्य बकाया खाते में जीवा पिता खातु मीणा अंकित है, अपीलार्थी का नाम घर पर पुकारे जाने के कारण अंकित हो गये जबकि अन्य सरकार दस्तावेज, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता व अर्द्ध राजकीय सेवा में अपीलार्थी का नाम अमृतलाल पिता खातरा मीणा का अंकन किया हुआ है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा सभी वर्तमान जमाबंदियों में अंकित नाम खाता संख्या 48 में जीवतराम पिता खातु तथा अन्य बकाया खातों में जीवा पिता खातु मीणा का संशोधन किया जाकर अमृतलाल पिता खातरा मीणा का राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दाद चाही गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने, महज तहसीलदार से रिपोर्ट तलब किया जाकर एवं अपीलार्थी से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 218/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/225) **श्री अमृतलाल मीणा बनाम तहसीलदार सेमारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवाद रखने वालों की बयान लिये जाकर अविधिक आदेश पारित कर दिया गया। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का खण्डन करते है। उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी के परोक्ष बनाई गई, जो सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विधि के प्रावधानोनुसार अपीलार्थी की साक्ष्य अभिलिखित की जानी थी जो नहीं की गई, न ही अपीलार्थी को सुना गया, बल्कि प्रकरण को एकतरफा सुनकर अपीलार्थी के अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जिसके जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी जिससे अपीलार्थी द्वारा मयाद उपशमन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाकर कर विवादग्रस्त आराजीयात भूमि में जीवा उर्फ जीवतराम में जगह इन्द्राज दुरस्ती की जाकर अमृतलाल पिता खातू (खातरा) मीणा का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया कि धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिक त्रुटि हो सहमति के आधार पर ही दुरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवाद की स्थिति है, जिससे वांदित दाद केवल सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विस्तृत जांच उपरान्त ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। इस प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित के बयान दर्ज कर विस्तृत जांच उपरान्त निर्णय पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा के निर्णय दिनांक 14.12.2021 के विरूद्ध मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का अनुरोध किया। उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कोर्ट में रखी जाकर संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं गवाहान के बयान लिये जाकर जाकर निर्णय दिनांक 14.12.2021 से उक्त आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्रसारित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा संबंधित तहसीलदार, सेमारी से रिपोर्ट तलब की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 218/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/225) **श्री अमृतलाल मीणा बनाम तहसीलदार सेमारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी वास्तविक अमृतलाल नहीं है। अमृतलाल पिता श्री खातु मीणा की वर्ष 1983 में मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नि श्रीमती भूरीदेवी, अमृतलाल के देहावसान उपरान्त किसी अन्य के साथ नाते चली गई। रिपोर्ट में अंकित सजरे अनुसार मूल पुरूष खातु के 6 संतान हुई जो कि पदमा, दोला, जीवा, अमृतलाल, डूंगर और रतनदेवी (फौत) है। दौला के 4 संतान हुई देवीलाल, ताराचन्द, गलाबी पत्नि (फौत), नवली पत्नि, अमृतलाल (फौत) पत्नि भूरीदेवी। अमृतलाल की मृत्यु उपरानत उसके भाई जीवा उर्फ जीवतराम ने सभी दस्तावेज अमृतलाल के नाम से बना दिये। उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी अमृतलाल वास्तव में जीवा उर्फ जीवतराम है जो कि मृतक अमृतलाल का भाई है। अपने कथनों के समर्थन में पटवारी द्वारा मौको रिपोर्ट में दोनों के फोटो भी चस्पा किये है, जिसकी तस्दीक उपस्थित मोतबिरान द्वारा दी गई। मौके पर तहसीलदार, सेमारी द्वारा उपस्थित गवाहान जो मूल पुरूष खातु के वारिसान है, श्री शांतिलाल पिता पदमा एवं देवीलाल पिता दोला मीणा के बयान लेखबद्ध किये जिसमें उनके द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ताईद की गई और अवगत कराया गया कि अपीलार्थी वास्तव में जीवतराम है, अमृतलाल की मृत्यु हो चुकी है, जीवतराम द्वारा नाम शुद्धि का गलत दावा किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा अपने निर्णय में तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 को खारिज कर दिया। हस्तगत अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये परन्तु यह स्थिति निविवार्दित है, इस प्रकरण में विवाद की स्थिति है। उपरोक्त स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट के वांछित अनुतोष पर सभी पक्षकारान के मध्य स्वीकरोक्ति नहीं होकर विवाद की स्थिति और जांच का विषय है। हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है । “136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register: Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties." उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दोरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण ऐसी त्रुटि से संबंधित नहीं है, जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णनानुसार अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कथन विरोधाभासी है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथनों के विपरित स्थिति दर्शित करती है। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही केवल समरी कार्यवाही है इसमें केवल तकनीकी भूल व दोनों पक्षकारों की सहमति से ही नक्शे या रेकर्ड में सुधार किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 218/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/225) **श्री अमृतलाल मीणा बनाम तहसीलदार सेमारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जा सकता है। जहां किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता हो या विवाद की स्थिति हो वहां इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा-136 के प्रावधान लागु नहीं होते है। इसके लिए अलग से घोषणा के प्रावधान है।

चूँकि विधिक प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति अपना राइट या टाइटल केवल दावे से ही तय करा सकता है। जो दोनो पक्षों की जबानी व दस्तावेजी शहादत लेकर हर पक्षकार को क्रोस करने का अवसर देकर तय किए जावेगें। इस मामले में धारा 136 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि सारा मामला साक्ष्य पर निर्भर करता है। धारा-136 की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकृति की है और इसे वाद के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेश में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं पत्रावलियों का गहन अध्ययन उपरान्त हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय दिनांक 14.12.2021 पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

परिणामतः **अपील अपीलार्थी अस्वीकार** की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर